धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की बैठक दिनांक 01.02.2016 की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

बैठक का प्रारंभ उपायुक्त महोदय द्वारा किया गया, जिसमें जिला खनिज जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के गठन के उद्देश्य पर चर्चा की गई। बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए–

1. बैठक में सर्वसम्मति से उपविकास आयुक्त एवं जिला खनंन पदाधिकारी के नाम से संयुक्त बैंक खाता खोलने एवं इसके संचालन का निर्णय लिया गया, ताकि खाते में अंशदान की प्राप्त राशि जमा किया जाना प्रारंभ हो सकें।

(अनुपालन– उपविकास आयुक्त एवं जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद)

2. झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एशोशियसन, रॉंची से पत्राचार कर धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के लिए प्रतिनिधि को मानोनित करने हेतु अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन– उपविकास आयुक्त)

3. जिला के सभी माननीय विधायक से शासी परिषद में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट करने हेतु पत्राचार किए जाने का निर्णय लिया गया। ताकि शासी परिषद की अगली बैठक में सभी को आमंत्रित किया जा सकें।

(अनुपालन– उपविकास आयुक्त)

4. धनबाद जिला का कुछेक खनन क्षेत्र नगर पंचायत, चिरकुण्डा एवं नगर निगम धनबाद अन्तर्गत अवस्थित है। गठित ट्रस्ट के शासी परिषद में इनके प्रतिनिधित्व का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग से मार्ग दर्शन की मांग किये जाने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– उपविकास आयुक्त)

5. वर्त्तमान में कोल कंपनियों से इसमें अंशदान मिलना है। निरसा, झरिया, बलियापुर, धनबाद एवं बाघमारा अंचल अन्तर्गत कोयला खनन क्षेत्र है। संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख/उपप्रमुख, पंचायत के मुखिया/ उपमुखिया की पंचायतवार सूची तैयार कर अगली बैठक में उपस्थापित किया जाना है।

(अनुपालन– जिला पंचायती राज पदाधिकारी)

6. संबंधित कोयला खनन पट्टों/कोलियरी की सूची तैयार कर अगली बैठक में उपस्थापित किया जाना है।

(अनुपालन– जिला खनन पदाधिकारी)

उपायुक्त, धनबाद
सह अध्यक्ष
धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट।

ज्ञापांक 1 /एम0 दिनांक 1-3-2016

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, धनबाद
सह अध्यक्ष
धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट।

01.03.16
Cashier of mining office